(वाद सं0.-5092/4/1/2020)

24.02.2021

प्रसंगाधीन मामला विधुत स्पर्शाधात से तुलसी राम के 18 वर्षीय पुत्र के मृत्यु हो जाने के उपरान्त विधुत विभाग के अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने व मृत्तक के परिवार को उचित क्षतिपूर्ति दिलाये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **उपमहाप्रबंधक(मा0सं0/प्रशा0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **उप सचिव, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है " **विधुत स्पर्शाधात के मामलों की निष्पादन हेतु गठित समिति द्वारा विचारोपरान्त दोनों मृत्तक के परिजनों को अनुदान की स्वीकृति हेतु निर्णय लिया गया। गठित समिति के द्वारा अनुदान की अनुशंसा के आलोक में कंपनी के कार्यालय आदेश संख्या–583 ज्ञापांक 156 दिनांक 30.06.2020 के द्वारा मृत्तक के आश्रित को ₹ 4,00,000/-(चार लाख) की स्वीकृति प्रदान की गयी । उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में स्व0 योगेश कुमार के पिता श्री तुलसी राम को चेक संख्या 667553 दिनांक–15.07.2020, RTGS के माध्यम से बैंक खाता में भुगतान कर दी गयी है।**

अब जबकि राज्य आयोग के आदेश के अनुपालन में परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा समाधान कर अनुमान्य क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **उपमहाप्रबंधक(मा0सं0/प्रशा0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार **उपमहाप्रबंधक(मा0सं0/प्रशा0),,साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन (अनुलग्नको संहित) की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक